



## विवाह में आधुनिक परिवर्तन एवं नगरीकरण

रिंकु सिंह

एम0 ए0 पी-एच0डी0, समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) भारत।

Received- 07.08.2020, Revised- 10.08.2020, Accepted - 13.08.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail-com

**सारांश :** आधुनिक समाज में विवाह की संस्था के प्राचीन उद्देश्यों तथा स्वरूपों में पर्याप्त अन्तर आया है। परम्परागत रूप से विवाह के उद्देश्यों में धर्म की प्रधानता रही है, परन्तु आधुनिक समाज में लैंगिक सन्तुष्टि को विवाह का प्रमुख उद्देश्य मानने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रगति ने विवाह संस्था को पर्याप्त प्रभावित किया है। विवाह की संस्था अपने पूर्व रूप को धीरे-धीरे छोड़ने लगी है। अब विवाह का सरलीकरण होता जा रहा है। पहले माता-पिता ही अपने लड़के-लड़कियों के लिए जीवन साथी का चुनाव करते थे। इस सम्बन्ध में लड़के-लड़कियों की कोई राय नहीं ली जाती थी, परन्तु अब अधिक आयु में विवाह होने, शिक्षा के बढ़ने तथा लड़के-लड़कियों को एक दूसरे के सम्पर्क में आने के अवसरों के मिलने से वे स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव कर उस पर अपने माता-पिता की स्वी.ति की छाप लगवाना चाहते हैं।

**कुंजीभूत शब्द— आधुनिक समाज, विवाह, संस्था, परम्परागत रूप, प्रधानता, लैंगिक सन्तुष्टि, नगरीकरण, सरलीकरण।**

वर्तमान परिवेश में समाचार पत्रों में विवाह के लिए विज्ञापन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जीवन-साथी के चुनाव में एक नयी प्रवृत्ति का उदय हो रहा है, वह यह कि सगाई के बाद लड़के-लड़कियों को परस्पर मिलने जुलने की माता-पिता स्वीकृति दे देते हैं। वे सिनेमा, पार्क, रेस्टोरेन्ट में मिलते हैं। ये सभी अवसर अन्तर्जातीय विवाह की प्रकृति के पक्षधर हैं। इस प्रकार वर्तमान परिवेश में अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आधुनिक समाज में युवक-युवतियों के एक दूसरे के सम्पर्क में आने के अवसरों के बढ़ने से उनमें रोमांस पर आधारित प्रेम पनपने लगा है। आज आयोजित परम्परागत विवाहों का स्थान प्रेम विवाह लेते जा रहे हैं।

विवाह के सम्बन्ध में कुछ नई प्रवृत्तियाँ पनप गई हैं, संक्षेप में वे प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं :-

**1 विलम्ब-विवाह (Late Marriage)**— बाल-विवाह के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में हिन्दुओं में जागरूकता शीघ्रता से बढ़ती जा रही है। इसलिए बाल-विवाह के पक्ष में भी लोगों का झुकाव कम हो रहा है। चूँकि आज लड़के पढ़ी-लिखी पत्नी चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े न होने तक विवाह का विरोध करते हैं और चूँकि आज लड़कियों में भी शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने तथा अपने अधिकारों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस कारण बाल-विवाह का विरोध अब किया जाता है और विवाह की उम्र बढ़ती जा रही है। विलम्ब-विवाह के अन्तर्गत अब लड़कों का विवाह 25 और 30 वर्ष की आयु के बीच होता है और इस आयु को विवाह के लिए आदर्श मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज यह अनुभव किया जा रहा है कि विलम्ब विवाह में दम्पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा,

स्वस्थ सन्तान, लड़कों व लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास में सुविधा तथा योग्य जीवन-साथी चुनने में सहायता मिलती है।

### 2. विधवा पुनर्विवाह (Widow Remarriage)

विवाह से सम्बद्ध एक और आधुनिक प्रवृत्ति विधवा-पुनर्विवाह की है। आज सामाजिक व नैतिक दोनों ही दृष्टियों से यह अनुभव किया जाता है कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह होना चाहिए, विशेषकर उन विधवाओं का जो कम आयु में विधवा हो गई हैं। उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, अनैतिक व्यभिचार को रोकने के लिए, उनके बच्चों को अनाथ होने से बचाने के लिए और विधवाओं को भी राष्ट्र के उपयोगी नागरिक बनाने के लिए विधवा-पुनर्विवाह उचित है, यह धारणा हिन्दुओं में धीरे-धीरे पनप रही है।

### 3. विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन (Changes in the Aims of Marriage)

आधुनिक समय में विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। आज यौन सम्बन्धी इच्छाओं की तृप्ति विवाह का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है क्योंकि आज विवाह-सम्बन्ध के बाहर भी यौन इच्छाओं की तृप्ति 'कॉल गर्ल', सोसाइटी गर्ल आदि के माध्यम से सम्भव है। उसी प्रकार बच्चों का पालन-पोषण भी विवाह का कोई महत्त्वपूर्ण उद्देश्य नहीं रह गया है। बच्चों के पालन-पोषण की व्यवस्था भी 'नर्सरी' या आयाओं की सहायता से की जा सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक या व्यक्तिवादी युग में धर्म का महत्त्व दिन-प्रतिदिन घटता ही जा रहा है और आज विवाह को धार्मिक कर्तव्य के रूप में ग्रहण करने की प्रवृत्ति शायद ही दृष्टिगोचर होती है। उसी प्रकार पुत्र का महत्त्व अब पहले जैसा नहीं रह गया है और यह समझा जाने लगा है कि पुत्र



या पुत्री दोनों ही परिवार के कल्याण में समान सहयोग दे सकते हैं।

**4. विवाह के स्वरूपों में परिवर्तन (Changes in the Forms of Marriage)**— आधुनिक समय में विवाह के स्वरूपों में भी परिवर्तन हो रहा है। आज सह-शिक्षा के विस्तार, युवक-युवतियों का साथ-साथ काम करने तथा स्वतन्त्रतापूर्वक मेल-मिलाप करने के कारण वे परस्पर प्रेम करते एवं अपनी इच्छानुसार, बिना अपने माता-पिता की अनुमति के ही एक-दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के विवाह में शरीर-संयोग विधिवत् विवाह होने से पूर्व भी हो सकता है और चूँकि प्रेम जाति या धर्म के बन्धन को स्वीकार नहीं करता है, इस कारण आज अन्तर्जातीय विवाह (inter-caste marriage) का भी प्रचलन बढ़ रहा है।

**5. दहेज का विरोध (Opposition of Dowry)**— आज दहेज या सही में वर-मूल्य का भी विरोध किया जा रहा है। लड़के व लड़कियों में विशेषकर शिक्षित लोगों में यह भावना पनप रही है कि दहेज जैसी सामाजिक प्रथा का अन्त होना ही चाहिए। यद्यपि इस प्रथा का प्रचलन आज भी कम नहीं हुआ है फिर भी प्रवृत्ति इसके पक्ष में नहीं है।

**6. विवाह-विच्छेद के प्रति झुकाव (Favourable Attitude towards Divorce)**— पहले कोई भी हिन्दू विशेषकर हिन्दू स्त्री, विवाह-विच्छेद की कल्पना नहीं कर सकती थी

और विवाह-बन्धन को एक आजीवन का बन्धन मान लिया जाता था। पर अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है और आवश्यकता पड़ने पर, विवाह-विच्छेद बुरा नहीं है, यह प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि विवाह-विच्छेद की आवश्यकता कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकती है, आज यह अनुभव किया जा रहा है।

**7. अन्तर्जातीय विवाह (Inter-caste Marriage)**— विवाह के सम्बन्ध में एक क्रान्तिकारी प्रवृत्ति जीवन-साथी के चुनाव के मामले में जातीय बन्धन को तोड़ना या अन्तर्विवाह के नियमों को न मानना है। आज अन्तर्जातीय विवाह के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। अब हम इसी प्रकार के विवाह के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. देसाई, ए० आर०—रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, बाम्बे पोपुलर प्रकाशन।
2. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली-7.
3. वेस्टरमार्क : द हिस्ट्री ऑफ हूमन मैरेज, वोल० 1, पृ० 26.
4. कपाडिया के० एम० : मैरेज एण्ड फैमिली इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1955 पृष्ठ 112.

\*\*\*\*\*